न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/166

दर्ज तिथि 15.11.2022

1. केदार वाजपेयी पुत्र मनमोहन वाजपेयी
2. मोहित वाजपेयी पुत्र मनमोहन वाजपेयी जाति आदि गौड ब्राहम्ण सीलावट निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1737 खजानो वालो का रास्ता इन्द्रा बाजार जिलेदार की गली जयपुर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी मनमोहन जाति आदि गौड ब्राहम्ण सीलावट निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1737 खजानो वालो का रास्ता इन्द्रा बाजार जिलेदार की गली जयपुर राजस्थान।
2. रतनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति आदि गौड ब्राहम्ण सीलावट निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1737 खजानो वालो का रास्ता इन्द्रा बाजार जिलेदार की गली जयपुर राजस्थान।

...........असल प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–स्वामी) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

...........तकमीली प्रतिवादी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित........

वादी अधिवक्ता – श्री आर.के. चौपडा।

प्रतिवादी अधिवक्ता – श्री सुरेंद्र चौपडा

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

केदार बनाम निर्मला

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं नाम दुरूस्ती वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर हाल खाता संख्या 220 हाल खसरा नम्बर 1871/0.51 है0, 1872/0.40 है0, 1877/0.02 है0, 1878/2.73 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.66 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर पर किये गये हाल अंकन को कलमजन कर हाल राजस्व इन्द्राज *नन्दू पत्नी लल्लूराम* के स्थान पर *नर्बदा देवी पत्नी लल्लूराम* करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/166 दर्ज तिथि 15.11.2022

1. केदार वाजपेयी पुत्र मनमोहन वाजपेयी

2. मोहित वाजपेयी पुत्र मनमोहन वाजपेयी जाति आदि गौड ब्राह्मण सीलावट निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1737 खजानो वालो का रास्ता इन्द्रा बाजार जिलेदार की गली जयपुर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी मनमोहन जाति आदि गौड ब्राह्मण सीलावट निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1737 खजानो वालो का रास्ता इन्द्रा बाजार जिलेदार की गली जयपुर राजस्थान।

2. रतनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति आदि गौड ब्राह्मण सीलावट निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1737 खजानो वालो का रास्ता इन्द्रा बाजार जिलेदार की गली जयपुर राजस्थान।

...........असल प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–स्वामी) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

...........तकमीली प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–
वादी अधिवक्ता:– श्री ... चौपडा।
प्रतिवादी अधिवक्ता:– श्री सुन्दर चौपडा।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–09.02.2023

1. आज यह राजस्व वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक्क व नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। वाद पत्र का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय में पेश कर अभिकथन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खाता संख्या 220 हाल खसरा नम्बर 1871/0.51 है0, 1872/0.40 है0, 1877/0.02 है0, 1878/2.73 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.66 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित चली आती है। उक्त आराजी में वादी व असल प्रतिवादी सहकाश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त मुतनाजा आराजी पर 1/4 हिस्से की खातेदार वादी ने अपने जीवन काल में रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहरीर करवाया है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा में वसीयत कर्ता का नाम आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर नर्वदा देवी पत्नी लल्लू राम दर्ज कर दिया है। जबकि वसीयतकर्ता का नाम जमाबन्दी में नन्दू पत्नी लल्लूराम दर्ज रिकॉर्ड है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के नामान्तरकरण के समय वसीयत और जमाबन्दी में भिन्न–भिन्न नाम होने के कारण नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क तथा इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व इन्द्राज नन्दू पत्नी लल्लूराम कलमजन किया जाकर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम किया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामील प्रतिवादीगण स्वयं बाद विधिवत तामील उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। इकबाल जबाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि हाल राजस्व इन्द्राज नन्दू पत्नी लल्लूराम कलमजन किया जाकर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम का अंकन कर दिया जाता है तो मुझे प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्य[illegible] विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिव[illegible] द्वारा [illegible]द पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन कि[illegible] कि उक्त मु[illegible] आराजी पर 1/4 हिस्से की खातेदार वादी ने अपने जी[illegible] तहरीर करवाया है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा में वसीयत कर्ता का [illegible] आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम दर्ज कर दिया है। जबकि वसीयतकर्ता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

नाम जमाबन्दी में नन्दू पत्नी लल्लूराम दर्ज रिकॉर्ड है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के नामान्तरकरण के समय वसीयत और जमाबन्दी में भिन्न–भिन्न नाम होने के कारण नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क तथा इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व इन्द्राज नन्दू पत्नी लल्लूराम कलमजन किया जाकर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम किया जावे।

4. दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि हाल राजस्व इन्द्राज नन्दू पत्नी लल्लूराम कलमजन किया जाकर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम का अंकन कर दिया जाता है तो मुझे प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है।

5. मैनें वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में नर्बदा देवी पत्नी लल्लू प्रसाद दर्ज है। जबकि जमाबन्दी संवत 2074–2077 में नन्दू पत्नि लल्लूराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के सलंग्ल दस्तावेजों पर मनन करते हुए वादी हाल राजस्व रिकॉर्ड में नन्दू पत्नी लल्लूराम कलमजन किया जाकर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है।

6. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उद्धरण इस प्रकार है:–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. *Parties not at issue. —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

7. प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत्–2074–77 हाल खाता संख्या 220 हाल खसरा नम्बर 1871/0.51 है0, 1872/0.40 है0, 1877/0.02 है0, 1878/2.73 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.66 है0 [illegible] किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में दर्ज रिकॉर्ड प्रमाणित [illegible] उक्त आराजी में नन्दू पत्नी लल्लूराम व असल प्रतिवादी सहकाश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक वादी उक्त मुतनाजा आराजी पर 1/4 हिस्से की खातेदार वादी [illegible] अपने जीवन काल में रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

वसीयतनामा तहरीर करवाया है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा में वसीयत कर्ता का नाम आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम दर्ज कर दिया है। जबकि वसीयतकर्ता का नाम जमाबन्दी में नन्दू पत्नी लल्लूराम दर्ज रिकॉर्ड है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के नामान्तरकरण के समय वसीयत और जमाबन्दी में भिन्न–भिन्न नाम होने के कारण नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। मुताबिक शामिल पत्रावली दस्तावेज नन्दू पत्नी लल्लूराम का असल नाम नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर हाल राजस्व इन्द्राज नन्दू पत्नी लल्लूराम कलमजन किया जाकर नर्बदा देवी पत्नी लल्लू राम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं नाम दुरूस्ती वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर हाल खाता संख्या 220 हाल खसरा नम्बर 1871/0.51 है0, 1872/0.40 है0, 1877/0.02 है0, 1878/2.73 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.66 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर पर किये गये हाल अंकन को कलमजन कर हाल राजस्व इन्द्राज *नन्दू पत्नी लल्लूराम* के स्थान पर *नर्बदा देवी पत्नी लल्लूराम* करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 09.02.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner